



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है:-

**\*प्रेस-नोट\***

**\*थाना-गम्भीरपुर\***

**\*सर्गाफा व्यापारी से लूट का प्रयास व लूट का विरोध करने पर फायरिंग में शामिल अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में 12 घंटे के भीतर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध पिस्टल, कारतूस के साथ घायल /गिरफ्तार\***

**\*पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-\***

दिनांक 29.12.2024 को वादी पप्पू सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी बिन्द्रा बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 37 वर्ष को बिन्द्रा बाजार में स्थित ज्वेलर्स की दुकान का सामान हटाते-बढाते समय मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी से लूट का प्रयास किया गया जिसमें वादी द्वारा लूट के प्रयास का विरोध करने पर अभियुक्तों द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल कर दिया गया था। जिसके संदर्भ में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 458/24 धारा 109 बी0एन0एस0 बनाम मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पांच टीमों का गठन किया गया था।

**\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.12.2024 को 12 घंटे के अंदर दिनांक 29.12.2024 को घटित घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना गम्भीरपुर की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में शामिल बदमाश फरदीन पुत्र फिरोज निवासी आँवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को पुलिस मुठभेड़ के दौरान कोहडौरा ईंट भट्टा के पास से समय करीब 07.15 बजे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा एक अन्य बदमाश सरपट के झुरमुट से होते हुए नदी के किनारे के रास्ते से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल यामहा (SELTU) नं0-UP50BQ1384 व 01 अदद पिस्टल व 03 अदद जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया है।

**\*घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-\***

01. फरदीन पुत्र फिरोज निवासी आँवक थाना रानी की सराय आजमगढ़।

**\*पूछताछ का विवरण:-\***

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि दिनांक 29.12.2024 को मेरे व मेरे साथी द्वारा बिन्द्रा बाजार में PPS सर्गाफा की दुकान पर जाकर लूट का प्रयास किया गया जिसमें सर्गाफा व्यापारी द्वारा लूट का विरोध किया गया तब मेरे साथी द्वारा सर्गाफा व्यापारी के ऊपर फायरिंग कर दी गई जिससे सर्गाफा व्यापारी घायल हो गया।

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

01. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
02. 01 अदद अवैध पिस्टल
03. 03 अदद जिन्दा कारतूस
04. 01 अदद खोखा कारतूस

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-\***

- 01.थानाध्यक्ष बसन्तलाल थाना गम्भीरपुर आजमगढ
- 02.का0 मिथलेश कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ
- 03.का0 विनोद वर्मा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ
- 04.म0का0 शीलू यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

